APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत........उपखण्ड अधिकारी.........मुकाम........कोटा.........

........प्रभू उर्फ शंभू..........बनाम........सरकार.........

किस्म मुकदमा........88, 89........नं. ....52........सन्........2025........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/9/25	पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। तहसीलदार लाडपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली हो। वादी अधिवक्ता की ओर से तहसील रिपोर्ट के अनुसार निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा में खसरा नं0 102 रकबा 0.1500 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.200 है0, खसरा नं0 104 रकबा 0.070 है0, खसरा नं0 118 रकबा 0.020 है0, खसरा नं0 119 रकबा 0.030 है0, खसरा नं0 122 रकबा 0.060 है0, खसरा नं0 410 रकबा 2.78 है0, खसरा नं0 410/765 रकबा 0.020 है0, खसरा नं0 59 रकबा 0.770 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 2 लगायत 15 के शामलाती खाते व कब्जे काश्त में स्थित है। जिसमें भूलवश नामान्तरकरण में वादी का नाम गलत रूप से प्रभू अंकित कर दिया गया था। वादी के घर का नाम प्रभू है तथा सरकारी रिकार्ड, प्रमाण पत्रों एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में वादी का नाम शंभूदयाल आत्मज धन्नालाल दर्ज है। अतः निवेदन है कि वादी का नाम राजस्व जमाबंदीयों में प्रभू के स्थान पर प्रभू उर्फ शंभू उर्फ शंभूदयाल नाम अंकित करने का आदेश प्रदान करे। वादी के वाद–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रभू पुत्र धन्नालाल व शंभू उर्फ शंभूदयाल पुत्र धन्नालाल एक ही व्यक्ति है। बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस वादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड एवं पहचान पत्र की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रभू पुत्र धन्नालाल एवं शंभू उर्फ शंभूदयाल पुत्र धन्नलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्टया ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत् वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा में खसरा नं0 102 रकबा 0.1500 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.200 है0, खसरा नं0 104 रकबा 0.070 है0, खसरा नं0 118 रकबा 0.020 है0, खसरा नं0 119 रकबा 0.030 है0, खसरा नं0 122 रकबा 0.060 है0, खसरा नं0 410 रकबा 2.78 है0, खसरा नं0 410/765 रकबा 0.020 है0, खसरा नं0 59 रकबा 0.770 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रभू पुत्र धन्नालाल के स्थान पर प्रभू उर्फ शंभू उर्फ शंभूदयाल पुत्र धन्नालाल दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय आज दिंनाकः 26/9/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय कोटा (मुहर)	